8.2.2023

पत्रावली पेश हुई।

वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण के वकील अनुपस्थित।

प्रतिवादीगण को जवाब पेश करने हेतु पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर समाप्त किया जाता है। आवेदन पत्र पर प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने आवेदन पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए अभिकथन किया किह है कि प्रार्थीगण एवं प्रतिप्रार्थी सं. 01 की पैतृक संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित सम्पति कृषि भूमि सरहद मौजा भूका थानसिंह पटवार हल्का करना की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खेत खसरा सं. 55 रकबा 0.0485 हैक्टयर (पुर्व. रकबा .06 ,विस्वा), खसरा सं. 56 रकबा 17.8464 हैक्टयर (पुर्व रकबा 110.06 बीघा) कुल रकबा 17.8950 हैक्टयर (पूर्व कुल रकबा 110.12 बीघा) आया हुआ है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 01 हिन्दु धर्म के अनुयायी है, तथा हिन्दु विधि की मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है, वादग्रस्त भूमि प्रार्थी सं. 01 के हकपुर्वाधिकारी दादा एवं प्रार्थी सं. 2/1/1 ता 2/1/5 के हकपुर्वाधिकारी पड़दादा आशा वल्द पिथा कौम पुरोहित के खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि रही, तदोपरान्त प्रार्थी सं. 01 के दादा एवं प्रार्थी सं. 1/2/1 ता 1/2/5 के पड़दादा आशा वल्द पिथा देहान्त निंवसीयती वर्ष सम्वत 1961 में हुआ। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 1 के परिवार का सहसयुक्त कब्जा काश्त की भूमि रही, प्रार्थीगण आशा वल्द पिया के प्रथम श्रेणी के वारिमान होने से प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा जन्म से ही निहित हो गये, जो कभी भी विनिहित नही हुए। प्रार्थीगण उक्त हिस्से की भूमि में कब्जा कास्त व रहवास रहा जो आज रोज भी कायम है। प्रार्थीगण के हकपुर्वाधिकारी आशा चल्द पिथा का देहान्त निंवसीयती वर्ष सम्वत 1961 में हुआ, प्रार्थीगण के परिवार का कर्ता एवं जानकार विप्रार्थी सं. 01 स्व. पदमाजी थे, जिसने गलत तरीके से गलत तथ्य बताकर इसरा का नाम हटाकर प्रार्थीगण के हकपुवाधिकारी आशा वल्द पिथा का फौतगी म्युटेशन स्वं पदमा ने अपने अकेले के नाम दर्ज करवा दिया, और अवैध व अनाधिकृत तरीके प्रार्थी सं. 01 के पिता एवं प्रार्थी सं. 1/2/1 ता 1/2/5 के दादा स्व. इसरा का नाम पीछे छोड़ दिया, जबकि स्व. आशाजी की अन्य कृषी भूमियों जो सरहद बालोतरा व थोब तहसील पचपदरा में आशाजी के दोनो पुत्रों का म्युटेशन पारित किया गया, विधिनुसार स्व. आशा वल्द पिथा का फौतगी म्युटेशन स्वं ईशरा व स्व. पदमा का 1/2–1/2 हिस्से में [illegible] पैतृक कृषी भूमि में प्रार्थीगण के हक हित अधिकार जन्म [illegible] हो गये, जो कभी भी विनिहित नही हुए। प्रार्थीगण [illegible] अपने पैतृक हिस्से में बिना किसी दखल हस्तक्षेप के कब्जा [illegible] करते आ रहे है। उपरोक्त कृषि भूमि में प्रत्येक प्रार्थी सं. 01 का 1/[illegible] हिस्सा, प्रार्थीगण सं. 1/2/1 ता 1/2/5 का 1/4 हिस्सा बराबर कुल 1/2 हिस्सा जन्म से ही निहित रहा व है, तथा शेष 1/2 हिस्सा विप्रार्थी सं. 1/1 व 1/2 का है। कि प्रार्थीगण के हकपुर्वाधिकारी स्वं. आशा वल्द पिथा का फौतगी म्युटेशन बिना प्रार्थीगण के हकपुर्वाधिकारी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.02.17 15:06:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर SDO सिणधरी

09/2021

जानकारी एवं बिना प्रार्थीगण के हकपुर्वाधिकारी को सुनवाई सबुत का अवसर दिये पारित किया गया, ऐसा फौतगी म्युटेशन प्रार्थीगण के हकों के विरूद्ध प्रारम्भ से ही अवैध शुन्य (Ab intio void) हैं, ऐसे अवैध व शून्य म्यूटेशन से प्रार्थीगण के हक किसी भी प्रकार से प्रतिकुल प्रभावित हुए, नहीं होते हैं, क्योकि प्रार्थीगण के विधिक हक मृतक आशा वल्द पिथा की भूमि में जन्म लेते ही निहित होकर वेस्ट हो गये, विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त हैं, कि म्यूटेशन प्रक्रिया मात्र लगान संग्रहण का माध्यम है, म्युटेशन प्रक्रिया से किसी के हको का न तो सृजन होता है, और न ही निर्वापन ही होता है, प्रथम श्रेणी के वारिस का नाम छोड़कर भरा गया, फौतगी म्युटेशन प्रारम्भ से ही शुन्य दस्तावेज होता है। वादग्रस्त भूमि के अलावा प्रार्थीगण स्वर्गीय आशा वल्द पिथा के खातेदारी की अलग अलग कृषी भूमियां मौजा बालोतरा के खसरा सं. 809, 1209, 1210, 1089, 847, 848 603, 604 605, एवं थोब (रामनगर) तहसील पचपदरा में अवस्थित है, जिसमें आशा वल्द पिथा का फौतगी म्युटेशन प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के हकपुर्वाधिकारी स्व. इशरा व स्व.पदमा दोनो के नाम से पारित किया गया, मौजा बालोतरा के आबादी क्षेत्र बमोहल्ला सिहा पुरोहितो का वास में अवस्थित रहवासीय भूखण्ड पटटा मिसल सं. 35/1945–66 भी आशा वल्द पिथा, इसरा, पदमा वल्द आशा सिहा पुरोहित के नाम से जारी किया हुआ है, जिसमें प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण का रहवास है। इसप्रकार प्रार्थीगण स्वं. आशा वल्द पिथा के प्रथम श्रेणी के पुत्र वारिस ईशरा के प्रथम श्रेणी के पुत्र वारिस होने से वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी सं. 01 के पिता तथा प्रार्थीगण सं. 1/2/1 ता 1/2/5 के दादा इशरा का 1/2 हिस्सा कायम रहा व है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के हक हित अधिकार जन्म से ही निहित है, जो कभी भी विनिहित नही हुए प्रार्थीगण ने समय समय पर, परिवार में हुए शादी समारोह, मरने परणे पर विप्रार्थीगण को राजस्व रेकर्ड में हुई उक्त त्रुटि को आपसी सहमति राजीनामा से दुरस्त करवाने का निवेदन किया गया, किन्तु विप्रार्थीगण द्वारा हर समय टालमटोली कर बात को आगे टालते रहे, लेकिन राजस्व रेकर्ड को आपसी सहमति से दुरस्त नहीं करवाया, मौके पर विप्रार्थीगण को रेकर्ड दुरस्त करवाकर नाम जुड़वाने हेतु कहा तो विप्रार्थीगण टालमटोली करते रहे, अन्ततः दिनांक 26.12.2020 को विप्रार्थीगण द्वारा राजस्व रेकर्ड दुरस्त करवाने से साफ इंकार कर दिया, जिससे वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के नीहित विधिक अधिकारो पर संश्य का आवरण व्याप्त हो गया, ऐसी विषम परिस्थितियो में प्रार्थीगण के पास अधिकार घोषणा, निरस्त करने म्युटेशन एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष का वाद पत्र दायर करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं होने से उपरोक्त अनुतोषो का वाद पत्र संस्थित किया जा रहा है। यदि विप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जा कास्त में दखल हस्तक्षेप करते हैं, तो प्रार्थीगण को ऐसी अपुर्णिय क्षति होगी, जिसका मुल्याकन धन या अर्थ में करना संभव नहीं होगा, प्रार्थीगण को व्यर्थ की अंतहिन ऊबाऊ मुकदमे बाजी में अनावश्यक उलझना पड़ेगा, यदि दौराने दावा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखल किया जाता है, तो प्रार्थीगण को असुविधा होगी, वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति होने से, दौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के आवश्यक सभी बिन्दु प्रथम दृष्टिया मामला, सुविधा का संतुलन, अपुर्णिय क्षति, साम्या का पवित्र सिद्धान्त

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.02.17 15:06:27 IST
Reason: SelfAttested

वादी / प्रार्थी के हक पक्ष में विद्यमान है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मूल वाद के विचाराधीन रहते विप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से निषेधित एवं निवारित किया जावे कि विप्रार्थीगण वादग्रस्त कृषि भूमि वादग्रस्त कृषि भूमियां सरहद मौजा भूंका थानसिंह पटवार हल्का करना की राजस्व सीमा में कृषी भूमि खेत खसरा सं. 55 रकबा 0. 10485 हैक्टयर, खसरा सं. 56 रकबा 17. 8464 हैक्टयर कुल रकबा 17.8950 हैक्टयर में प्रार्थीगण के पैतृक कृषि भूमि के हिस्से के कब्जा कास्त में किसी प्रकार का कोई दखल / हस्तक्षेप / बाधा / अवरोध न तो स्वय करें और न ही अन्य किसी से ऐसा करावें, वादग्रस्त भूमियों को आगे बेचान हस्तान्तरण रहन इत्यादि कर किसी तीसरे पक्ष का हक सृजित नही करे, मौके एवं रेकर्ड की वस्तुस्थिति में परिवर्तन नहीं करे, रेकर्ड की यथास्थिति कायम रखें।

हमनें प्रार्थी वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया गया एवं तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि उक्त आराजी प्रार्थी सं. 1 के दादा व प्रार्थी सं. 2/1/1 ता 2/1/5 के पड़दादा आशा वल्द पिथा के नाम वक्त भू–प्रबन्ध खातेदारी में अंकित हुई। कि प्रार्थीगण कथन अनुसार विवादित भूमि पक्षकारान के पैतृक पुश्तेनी होने के तथ्यानुसार कि जिसके अनुसार विवादित भूमि पक्षकारान के पूर्व पुरूष आशा की थी। आशा के फौत होने पर राजस्व रेकर्ड में स्व. पदमा पुत्र आशाजी के नाम व बाद में पदमा के वारिसान विप्रार्थी सं. 1/1 व 1/2 के नाम दर्ज हुआ। जंहा तक प्रार्थीगण की इस्तदुआ अनुसार वादग्रस्त भूमि पैतृक पुश्तैनी होने पर उनका खातेदारी हिस्सा सामुहिक रूप से हिस्सा होने अथवा नहीं होने का निस्तारण मूल वाद के जरिये साक्ष्य /सबूतों के आधार पर पक्षकारान की सुनवाई निर्णित किया जाना है, परन्तु प्रथम दृष्टया उभयपक्ष द्वारा अपने अभिकथनों के अनुसार यदि दौराने विचारण वाद विवादित भूमि का और आगे से आगे बेचान या हस्तांतरण इत्यादि कर दिया जाता है तो पक्षकारान के मध्य विवाद बढने से इन्कार नहीं किया जा सकता है और प्रकरण को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदीगीया बढेगी। उपरोक्त परिस्थिति को मदद्वेनजर रखते हुए मूलवाद के निर्णय तक पक्षकारान को पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक स्वीकार योग्य है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ताफैसला मूलवाद के निर्णय तक दोनों को [illegible] स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि मौजा भूंका थानसिंह पटवार हल्का करना की राजस्व सीमा में कृषी भूमि [illegible] रकबा 0. 10485 हैक्टयर, खसरा सं. 56 रकबा 17.8464 हैक्टयर कुल रकबा 17. 8950 हैक्टयर भूमि के संबंध में पक्षकारान एक–दूसरे के कब्जे काश्त में की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं कर राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.02.17 15:06:27 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

08/02/2023
सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी